BRSM010012632024

Presented on : 02-02-2024
Registered on : 02-02-2024
Decided on : 04-06-2026
Duration : 2 years, 4 months, 2 days

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

सत्र वाद सं0–100 / 2024 एवं 517 / 2024

पंजीयन सं0–100 / 2024

बिहार राज्य द्वारा संतोष मंडल, पे0–स्व0 मेथुर मंडल,
सा0–गोदाईपट्टी, थाना–मोरो, जिला–दरभंगा.....अभियोजन पक्ष।

ब ना म्

1. बबन मंडल उर्फ बबन कुमार मंडल, पे0–बिरेन्द्र मंडल उर्फ वृन्द मंडल.....उम्र लगभग 33 वर्ष,
2. बिरेन्द्र मंडल उर्फ वृन्द मंडल, पे0–स्व0 रामाशीष मंडल.....उम्र लगभग 65 वर्ष,
3. शिमला देवी, पति–बिरेन्द्र मंडल उर्फ वृन्द मंडल.....उम्र लगभग 60 वर्ष,

सा0–खरसंड पूर्वी, थाना–कल्याणपुर, जिला–समस्तीपुर.....अभियुक्तगण।

थाना–कल्याणपुर,
जिला–समस्तीपुर,
प्राथमिकी सं0–134 / 2022,
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा–304–ख,201,120–ख भा0 दं0 वि0,
संज्ञान अन्तर्गत धारा–498–क,304–ख,201 / 34 भा0 दं0 वि0 एवं 3 / 4 दहेज निषेध अधि0,
आरोप अन्तर्गत धारा–498–क / 34, 304–ख / 34, 302 / 34, 201 / 34 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 3 / 4 दहेज निषेध अधि0,
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री रमेश प्रसाद सिंह, अपर लो0 अभि0,
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री शम्भू शरण पाण्डेय, अधिवक्ता।
निर्णय की तिथि–04.06.2026

उपस्थित–अखिलेश कुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
समस्तीपुर।

नि र्ण य

1. उपरोक्त नामित तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498–क / 34, 304–ख / 34, 302 / 34, 201 / 34 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 3 / 4 दहेज निषेध अधि0 के अन्तर्गत आरोपों का गठन किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर विचारण का दावा किया।

2. सूचक संतोष मंडल द्वारा थानाध्यक्ष, कल्याणपुर को दिए गए आवेदन पत्र के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि वह अपनी पुत्री गुंजा कुमारी

Web Copy

उर्फ पुतुल कुमारी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार बबन मंडल के साथ अप्रैल 2018 में किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी बेटी के साथ ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा जिसकी सूचना उसे कई बार दूसरे के मोबाईल से प्राप्त हुआ, लेकिन वह बैगलोर में रहकर अपना काम कर रहा था, इसलिए वह बार–बार अपनी बेटी के यहां नहीं जा रहा था। इस बात को लेकर उसके पति बबन मंडल के कई बार उसका फोन पर झड़प हुआ। आज से करीब दो माह पूर्व उसका दामाद बबन मंडल जब नौकारी पर जा रहे थे तो उसी दिन उसकी बेटी के साथ काफी मारपीट किए तथा उसकी बेटी के काफी गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका दामाद उसका हाथ–पैर बांधकर मिट्टी तेल छिड़ककर जलाने का प्रयास करने लगे और आस–पास के लोगों द्वारा बीच–बचाव किया गया जिसकी सूचना उसकी बेटी उसे मोबाईल से दिया। उसके बेटी को उसका दामाद एवं उनके परिवार द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था कि दो लाख रूपया अपने बाप से मांगकर दो नहीं तो इस बार तुम्हें जलाकर मार देंगे। दिनांक 19.04.2022 को लगभग एक बजे दिन में बबन मंडल, बिरेन्द्र मंडल, सास शिमला देवी, देवर बुल्लू मंडल, ननद गुड़िया कुमारी, बिरेन्द्र मंडल का मौसेरा भाई सभी एक राय कर साजिश के तहत उसकी बेटी को घर में मारकर बांध के किनारे जला रहे थे। इस बात की सूचना उसे फोन से प्राप्त हुआ। तब इसकी सूचना कल्याणपुर थाना को देते हुए खरसंड पूर्वी बांध के पास पहुंचा तो देखा कि पुलिस द्वारा जले लाश को बुझाया जा रहा है। तब ये लोग भी पहुंचकर जल्दी–जल्दी जलती लाश को बुझाए। उसका दावा है कि उसका दामाद बबन मंडल द्वारा अपने परिवार के उपरोक्त नामित व्यक्तियों से यह कार्य साजिश के तहत करवाया गया है।

3. सूचक संतोष मंडल द्वारा दिए गए उपरोक्त आवेदन–पत्र के आधार पर प्रस्तुत मामला कल्याणपुर थाना कांड सं0–134/2022, दिनांक 19.04.2022, अन्तर्गत धारा 304–ख,201,120–ख भा0 दं0 वि0, उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण सहित कुल छः अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया एवं अनुसंधान आरम्भ हुआ। अनुसंधानकर्ता द्वारा पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त बबन मंडल के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–456/2023, दिनांक 30.10.2023, अन्तर्गत धारा 498–क,304–ख,201/34 भा0 दं0 वि0 एवं 3/4 दहेज निषेध अधि0 समर्पित किया गया जिसके आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डा0, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 25.01.2024 को आरोप–पत्रित अभियुक्त बबन मंडल के विरूद्ध धारा 498–क,304–ख,201/34 भा0 दं0 वि0 एवं 3/4 दहेज निषेध अधि0 के अन्तर्गत संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप धारा 304–ख, 201 भा0 दं0 वि0 अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण वाद दिनांक 02.02.2024 को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया गया जहां वाद को सत्र वाद सं0–100/2024 के रूप में संस्थित करते हुए वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।

पूरक अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त बुल्लू मंडल, गुड़िया कुमारी एवं बिरेन्द्र मंडल का मौसेरा भाई के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त बिरेन्द्र मंडल एवं शिमला देवी के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र सं0–261/2024, दिनांक 20.07.

Web Copy

2024, अन्तर्गत धारा धारा 498–क,304–ख,201/34 भा0 दं0 वि0 एवं 3/4 दहेज निषेध अधि0 समर्पित किया गया जिसके आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डा0, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 17.08.2024 को आरोप–पत्रित अभियुक्त बिरेन्द्र मंडल एवं शिमला देवी के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 25.01.2024 को लिए गए संज्ञान को मान्य करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप धारा 304–ख, 201 भा0 दं0 वि0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण वाद दिनांक 11.09.2024 को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया गया जहां वाद को सत्र वाद सं0–517/2024 के रूप में संस्थित करते हुए वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।

4. उपरोक्त नामित तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498–क/34, 304–ख/34, 302/34, 201/34 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधि0 के अन्तर्गत आरोपों का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुना एवं समझा दिया गया जिसे सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों को इंकार किया तथा अपने को निर्दोष बताते हुए वाद विचारण का दावा किया।

5. सत्र वाद सं0–100/2024 एवं सत्र वाद सं0–517/2024 एक ही थाना कांड सं0 से उत्पन्न होने एवं समान स्तर अभियोजन साक्ष्य हेतु लम्बित रहने के कारण दिनांक 21.11.2024 के आदेशानुसार सत्र वाद सं0–517/2024 को सत्र वाद सं0–100/2024 के साथ मिला दिया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस वाद के उपरोक्त नामित अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बताया।

7. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस वाद के उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित करने में सफल हो पाया है ?

<u>मं त व्य</u>

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित छः साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है–

अ0 सा0 सं0 1. संगीता कुमारी (द्वितीय अनुसंधानकर्ता),

अ0 सा0 सं0 2. अखिलेश कुमार राय (तृतीय अनुसंधानकर्ता),

अ0 सा0 सं0 3. मनोज राय,

अ0 सा0 सं0 4. शैलेन्द्र कुमार,

अ0 सा0 सं0 5. अंजनी कुमार मंडल,

अ0 सा0 सं 6. संतोष मंडल (सूचक)।

मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत एवं प्रमाणित किया गया है–

Web Copy

प्रदर्श–P-1/P.W-01 : अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने हेतु दिया गया आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर,

प्रदर्श–P-1/1/P.W-01 : औपचारिक प्राथमिकी पर गौतम कुमार, थानाध्यक्ष कल्याणपुर का हस्ताक्षर,

प्रदर्श–P-2/P.W-02 : अभियुक्त बबन मंडल के विरूद्व समर्पित आरोप–पत्र,

प्रदर्श–P-3/P.W-06 : लिखित आवेदन–पत्र।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अ0 सा0 सं0 1 संगीता कुमारी, जो इस मामले का प्रथम अनुसंधानकर्ता है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कही है कि वह दिनांक 27.06.2022 को कल्याणपुर थाना में एस0 आई0 के पद पर पदस्थापित थी। उसने कल्याणपुर थाना कांड सं0–134 / 2022, दिनांक–19.04.2022 का भार थानाध्यक्ष, कल्याणपुर गौतम कुमार से ग्रहण किया। इसके पूर्व ओम प्रकाश कुमार द्वारा अनुसंधान का कार्य किया गया था। उसने अनुसंधान ग्रहण करने के बाद कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ, जिसे उसने कांड दैनिकी में अंकित किया। उसके बाद मृतक गुंजन कुमारी उर्फ पुतुल कुमारी का डी0एम0सी0एच0, दरभंगा से पोस्टमार्टम रिर्पोट प्राप्त करने के लिए दिनांक–28.07.2022 को भेजे। मृतका गुंजन कुमारी उर्फ पुतुल कुमारी का पोस्टमार्टम रिर्पोट दिनांक 10.09.2022 को प्राप्त हुआ एवं उसी दिन कांड दैनिक में अंकित किया। दिनांक 26.09.2022 को अभियुक्त के गिरफतारी के लिए छापामारी किया। इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त बबन मंडल पे0–बिरेन्द्र मंडल, बिरेन्द्र मंडल, पे0–आशीष मंडल, शिमला देवी, पति–बिरेन्द्र मंडल के घर पर छापामारी किया। छापामारी के क्रम में अभियुक्तगण फरार पाए गए। अभियुक्तों की गिरफतारी के लिए कई बार उसे द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में सक्षी मो0 मोती, मनोज कुमार राय का बयान लिया, जिसे उसे द्वारा कांड दैनिकी में अंकित किया गया। उसके बाद मृतका गुंजन कुमारी उर्फ पुतुल कुमारी का भेसरा रिर्पोट के जॉच के लिए अनुमति लेने के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद न्यायालय से वारंट प्राप्त किया अभियुक्त के गिरफतारी के लिए यह दिनांक 04.03.2023 का आवेदन है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है। साक्षी के पहचान पर अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने हेतु दिया गया आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1/P.W-01 अंकित किया गया। मृतका गुंजन कुमारी उर्फ पुतुल कुमारी का भेसरा रिर्पोट प्राप्त करने के लिए मुजफ्फरपुर प्रस्थान किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफफरपुर से भेसरा रिर्पोट प्राप्त किया तथा कांड दैनिकी में संलग्न किया। उसके बाद अभियुक्त के गिरफतारी के लिए माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किया। इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो जाने के कारण अनुसंधान का भार थानाध्यक्ष गौतम कुमार को दिनांक 06.03.2024 को सौप दिया। कल्याणपुर थाना कांड संख्या–134 / 2022 के प्राथमिकी पर गौतम कुमार थानाध्यक्ष कल्याणपुर के हस्ताक्षर का पहचान की है। साक्षी के पहचान पर औपचारिक प्राथमिकी पर गौतम कुमार, थानाध्यक्ष कल्याणपुर के हस्ताक्षर

Web Copy

को प्रदर्श–P-1/1/P.W-1 अंकित किया गया।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कही है कि वह अनुसंधान का कार्य दिनांक 27.06.2022 से दिनांक 30.06.2023 तक किया गया था। उसे अनुसंधान भार ग्रहण करने उपरांत कई बार घटनास्थल पर जाने का मौका मिला था। उसने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का चौहददी का विवरण नही दिया था। उसने अनुसंधान पर्यवेक्षण टिप्पणी के अनुसार ही किया था। उसने पोस्टमार्टम रिर्पोट प्राप्त करने के लिए मो0 हारून, चौकीदार को भेजा था। उसने इस कांड का आंशिक अनुसंधान किया था। उसके पूर्व और उसके बाद भी अनुसंधानकर्ता थे। मो0 मोदी का बयान घटनास्थल पर लिया था। दोनों साक्षी घटनास्थल पर ही मौजुद थे। दोनों साक्षी बारी–बारी से आए थे। उसने भेसरा जॉच के लिए भेजा था। उसका रिर्पोट उसके समक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। साक्षी ने इस तथ्य को इंकार किया है कि उसका अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है।

11. अ0 सा0 सं0 2 अखिलेश कुमार राय, जो इस मामले का तृतीय अनुसंधानकर्ता है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 28.07.2023 को वह कल्याणपुर थाना समस्तीपुर में एस0 आई0 के पद पर पदस्थापित था। उसी दिन कल्याणपुर थाना कांड संख्या–134/2022 का अनुसंधान भार उस समय के वर्तमान थाना प्रभारी गौतम कुमार से ग्रहण किया और अनुसंधान प्रारम्भ किया। दिनांक 29.07.2023 को कांड दैनिकी का अवलोकन किया और उसका संक्षिप्त विवरण कांड दैनिकी में अंकित किया तथा उसके बाद पुलिस बल व महाल चौकिदार के साथ छापामारी किया। सभी अभियुक्त अपने घर से फरार पाए गए और अगल–बगल से पुछने पर बताया कि घटना के बाद से ही सभी अपने घर से फरार है, पता नही कहॉ चले गए और उसके बाद थाना आए। उसके बाद दिनांक 18.08.2023 को माननीय न्यायालय आए तथा जी0 आर0 कर्ल्क से पुछने पर बताए कि बबन मंडल पिता–बिरेन्द्र मंडल दिनांक 03.08.2023 को आत्म सर्म्पण किया जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यायिक अवधि पूर्ण होने से पूर्व वरीय पुलिस के आदेश के प्रत्यासा में अभियुक्त बबन मंडल के विरूध्द सत्य पाय गए धारा 498–क,304–ख,201/34 भा0 दं0 वि0 एवं 3/4 दहेज निषेध अधि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0–456/2023, दिनांक 30.10.2023 को समर्पित किया तथा अभियुक्त बिरेन्द्र मंडल, शिमला देवी की गिरफतारी एवं प्राथमिकी अभियुक्त बुल्लम मंडल, गुडिया कुमारी, एवं शंकर मंडल का कांड में संलिप्तता की बिन्दु पर पूरक अनंसंधान जारी रखा। साक्षी के पहचान पर अभियुक्त बबन मंडल के विरूद्व समर्पित आरोप–पत्र को प्रदर्श–P-2/P.W-02 अंकित किया गया। दिनांक 31.10.2023 को पूरक अनुसंधान प्रारंभ किया और कांड दैनिकी का अवलोकन कर उसका संक्षिप्त विवरण लिखा। दिनांक 04.11.2023 को दोनों अभियुक्त बिरेन्द्र मंडल एवं शिमला देवी के विरूद्व इश्तिहार माननीय न्यायालय से प्राप्त किया। दिनांक 20.01.2024 को इश्तिहार महाल चौकीदार एवं ग्रामीणों के समक्ष विधिवत तामिला किया। दिनांक 02.02.2024 को वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में भोजपुर जिला में स्थानान्तरण हेतु कांड का अनुसंधान भार थाना अध्यक्ष, गौतम कुमार को सौंपा। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त बबन मंडल का पहचान किया है तथा अन्य को भी पहचानने की बात कहा है।

Web Copy

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि अनुसंधान के क्रम में वह कोई भी अभियुक्त को गिरफतार नही किया था। बबन मंडल के घर पर उसका पहले से आना जाना नहीं होता था। जब हम बबन मंडल के घर पर रेड करने गया तब इनलोगों का फोटो घर के दिवार पर नहीं लगा था। वह अनुसंधान के क्रम में किसी भी साक्षी का बयान नही लिखा एवं घटनास्थल का भी वह निरिक्षण नही किया। वरीय पदाधिकारी के आदेश के प्रत्यासा में आरोप पत्र समर्पित किया। पूर्व के जो अनुसंधानकर्ता थे, उन्हीं के अनुसंधान के आधार पर आरोप पत्र समर्पित किया। साक्षी ने इस तथ्य को इंकार किया है कि उसका अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है और वह झूठी गवाही दे रहा है।

12. अ0 सा0 सं0 3 मनोज राय अपने मुख्य परीक्षा में कही है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि घटना के समय वह यहॉ पर नहीं था। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में इस तथ्य को इंकार किया है कि पुलिस के समक्ष वह अपना बयान दिया था कि मृतका गुंजा कुमारी, जो बिरेन्द्र मंडल की बहू थी, जो सास से झगड़ा करके तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली एवं बिरेन्द्र मंडल अपने सहयोगी के सहयोग से मृतका का आधा जला शरीर बांध किनारे जला रहे थे एवं उसी समय कल्याणपुर पुलिस अचानक आ गई। उसके बाद वे लोग आधा जला शरीर वहॉ छोड़ कर भाग गए एवं आधा जला शव को पुलिस ने बरामद किया। आज न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों में से एक बूढे व्यक्ति को चेहरा से पहचान रहा है एवं अन्य को नहीं पहचानता है। साक्षी ने इस तथ्य को भी इंकार किया है कि अभियुक्तगण के मेल में आकर सच बात छुपा रहा है।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कहा है कि वह यहॉ नहीं रहता है। वह किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानता है।

13. अ0 सा0 सं0 4 शैलेन्द्र कुमार अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना करीब चार साल पहले की है। संतोष मंडल की बेटी की शादी बबन मंडल के साथ हुई थी। संतोष मंडल की बेटी मर चुकी है। उसे जानकारी नहीं है कि संतोष मंडल की बेटी की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में इस तथ्य को इंकार किया है कि पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा था कि संतोष मंडल उसे बताया था कि उसकी बेटी की हत्या कर ससुराल पक्ष वाले नदी बांध के किनारे खरसंड में शव जला रहे हैं और इस सूचना पर तुरंत कल्याणपुर थाना को सूचना देते हुए अपने गॉव के कुछ लोगो एवं संतोष मंडल के परिवार के लोगों के साथ बांध किनारे पहुंचा तो देखा कि बांध में ही एक गढ्ढा खोदकर पुतुल कुमारी उर्फ गुंजा को जलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा शव को बुझाया जा रहा है। इनलोगों ने भी आग को बूझाने में मदद किया तथा थानाध्यक्ष कल्याणपुर एवं अंचलाधिकारी कल्याणपुर के समक्ष शव को पोस्टमॉर्टम के

Web Copy

लिए भेजा गया एवं संतोष मंडल के पुत्री पुतुल कुमारी उर्फ गुंजा कुमारी को पूर्व में भी जलाकर मारने का प्रयास किया गया था, पति एवं उनके परिजनों के द्वारा जिसे लोगों के द्वारा बचाया गया था एवं इस लड़की की शादी के बाद भी दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं प्रताड़ित किया जाता रहा है। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है। साक्षी ने इस तथ्य को इंकार किया है कि वह मुदालय के मेल में आकर सत्य बात छुपा रहा है।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे संतोष मंडल ने इस घटना के बारे में बताया था। उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

14. अ0 सा0 सं0 5 अंजनी कुमार मंडल अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि पुतुल कुमारी उर्फ गुंजा कुमारी उसकी भतीजी थी। घटना करीब चार साल पहले की है। संतोष मंडल की बेटी की शादी बबन मंडल के साथ हुई थी। संतोष मंडल की बेटी मर चुकी है। उसे जानकारी नहीं है कि संतोष मंडल की बेटी की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में इस तथ्य को इंकार किया है कि पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा था कि संतोष मंडल उसे बताया था कि उसकी बेटी की हत्या कर ससुराल पक्ष वाले नदी बांध के किनारे खरसंड में शव जला रहे हैं और इस सूचना पर तुरंत कल्याणपुर थाना को सूचना देते हुए अपने गॉव के कुछ लोगो एवं संतोष मंडल के परिवार के लोगों के साथ बांध किनारे पहुंचा तो देखा कि बांध में ही एक गढ्ढा खोदकर पुतुल कुमारी उर्फ गुंजा को जलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा शव को बुझाया जा रहा है। इनलोगों ने भी आग को बुझाने में मदद किया तथा थानाध्यक्ष कल्याणपुर एवं अंचलाधिकारी कल्याणपुर के समक्ष शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया एवं संतोष मंडल के पुत्री पुतुल कुमारी उर्फ गुंजा कुमारी को पूर्व में भी जलाकर के मारने का प्रयास किया गया था, पति एवं उनके परिजनों के द्वारा जिसे लोगों के द्वारा बचाया गया था एवं इस लड़की की शादी के बाद भी दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं प्रताड़ित किया जाता रहा है। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है। साक्षी ने इस तथ्य को इंकार किया है कि वह मुदालय के मेल में आकर सत्य बात छुपा रहा है।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे संतोष मंडल ने इस घटना के बारे में बताया था। उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

15. अ0 सा0 सं0 6 संतोष मंडल, जो इस मामले का सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह इस केस का सूचक है। वह अपनी बेटी गुंजा कुमारी उर्फ पुतुल कुमारी की शादी साल 2018 में बबन मंडल के साथ किया था। शादी के बाद उसकी बेटी अपने ससुराल गई थी। कुछ दिन तक उसकी बेटी ससुराल में खुशी से रहती थी। उसके

Web Copy

कुछ दिन बाद उसकी बेटी के साथ ससुराल वाले दहेज को लेकर झगड़ा करते थे। उसके दामाद का व्यवहार अच्छा था। उसे 2022 में सूचना मिली कि उसकी बेटी को मार दिया गया है। वह चार–पॉच लोगों के साथ अपनी बेटी का ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर में कोई नहीं था। वहॉ पता चला कि उसकी बेटी के शव को उसके ससुराल वाले बांध के किनारे जला दिए हैं। उसके बाद ये लोग पुलिस को सूचना देते हुए बांध के किनारे पहुंचा तो वहॉ देखा कि पुलिस उसकी बेटी की चिता को बुझा रही थी। उसके बाद पुलिस उसकी बेटी के शव को लेकर चली गई। वह आवेश में आकर पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन को प्रदर्श–P-3/P.W-06 अंकित किया गया। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त बबन मंडल, बिरेन्द्र मंडल एवं शिमला देवी की पहचान किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि उसकी बेटी एवं दामाद के बीच अच्छा संबंध था तथा दोनों से एक लड़का भी पैदा हुआ था जो अभी अपने दादा–दादी के साथ रहता है। उसकी बेटी को उसका दामाद या उसके परिवार के लोग कभी प्रताड़ित नहीं करते थे। वे लोग कभी भी दहेज की मांग नहीं किए थे। उसकी बेटी के ससुराल के गॉव के व्यक्ति द्वारा ही उसे बेटी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। केस करने के बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी खाना बनाने के क्रम में आग लगने से जल गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी बेटी को उसका दामाद या उसके परिवार के लोगों ने हत्या नहीं किया था। इस केस के गवाह मो0 मोती की मृत्यु हो चूकी है।

16. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है एवं ऐसा नहीं कर पाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है।

17. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में कुल छः साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। अ0 सा0 सं0 3 मनोज राय अपने मुख्य परीक्षा में कही है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि घटना के समय वह यहॉ पर नहीं था। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कहा है कि वह यहॉ नहीं रहता है। वह किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानता है। अ0 सा0 सं0 4 शैलेन्द्र कुमार अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि संतोष मंडल की बेटी मर चुकी है। उसे जानकारी नहीं है कि संतोष मंडल की बेटी की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे संतोष मंडल ने इस घटना के बारे में बताया था। उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अ0 सा0 सं0 5 अंजनी कुमार मंडल अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि संतोष मंडल की बेटी मर चुकी है। उसे जानकारी नहीं है कि संतोष मंडल की बेटी की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किए

Web Copy

गए प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे संतोष मंडल ने इस घटना के बारे में बताया था। उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अ0 सा0 सं0 6 संतोष मंडल, जो इस मामले का सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन वाद का समर्थन किया है, परन्तु अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि उसकी बेटी एवं दामाद के बीच अच्छा संबंध था तथा दोनों से एक लड़का भी पैदा हुआ था जो अभी अपने दादा–दादी के साथ रहता है। उसकी बेटी को उसका दामाद या उसके परिवार के लोग कभी प्रताड़ित नहीं करते थे। वे लोग कभी भी दहेज की मांग नहीं किए थे। उसकी बेटी के ससुराल के गॉव के व्यक्ति द्वारा ही उसे बेटी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। केस करने के बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी खाना बनाने के क्रम में आग लगने से जल गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी बेटी को उसका दामाद या उसके परिवार के लोगों ने हत्या नहीं किया था। इस साक्षी द्वारा दिए गए उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में अ0 सा0 सं0 1 संगीता कुमार एवं 2. अखिलेश कुमार राय के साक्ष्य का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं रह जाता है। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है एवं ऐसा नहीं कर पाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप युक्तियुक्त शंकाओं से परे प्रमाणित नहीं होतह है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है–

<u>आ दे श</u>

18. उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष इस वाद के उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त बबन मंडल उर्फ बबन कुमार मंडल, बिरेन्द्र मंडल उर्फ वृन्द मंडल एवं शिमला देवी को धारा 498–क/34, 304–ख/34, 302/34, 201/34 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधि0 के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता हैं तथा उन्हें इस मामले में स्वतंत्र किया जाता है। अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। कार्या0 लि0 को निर्देश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर को प्रेषित करते हुए अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय लेखापित एवं संशोधित तथा
खुले न्यायालय में उद्घोषित

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
समस्तीपुर

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
समस्तीपुर

Web Copy